

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांक: 346/सो.आ.नि.-318I/2016

दिनांक: 04 अगस्त, 2016

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

इलाहाबाद, बाराबंकी, बरेली, बहराइच, कुशीनगर, अलीगढ़, कानपुर नगर, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सोनभद्र, वाराणसी, औरैया, ललितपुर, रामपुर, महोबा, देवरिया, उन्नाव, सिद्धार्थनगर, सुलतानपुर, कौशाम्बी, जालौन, मुजफ्फरनगर, संभल, लखनऊ, हाथरस, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, आगरा, फैजाबाद, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, फिरोजाबाद, बदायूं, इटावा, हापुड़, बांदा, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, रायबरेली, बुलन्दशहर, प्रतापगढ़, बलिया एवं चन्दौली।

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में कराए गए कार्यों के सोशल आडिट के लिए द्वितीय चरण का कैलेण्डर।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्रांक 296/सो.आ.नि.-318(I)/2016, दिनांक 22.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा 28 जुलाई, 2016 से सोशल आडिट प्रारम्भ होने हेतु सोशल आडिट कैलेण्डर जारी किया गया था। दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के ट्रेनिंग कैलेण्डर के अनुसार टीम सदस्यों का प्रशिक्षण दिनांक 11.08.2016 से प्रारम्भ किया जा सकेगा। अतः सोशल आडिट हेतु निर्धारित तिथि 08, 11 एवं 17 अगस्त, 2016 को टीमों द्वारा आडिट नहीं किया जा सकेगा। एस०आई०आर०डी० द्वारा जारी ट्रेनिंग कैलेण्डर को ध्यान में रखते हुए 08, 11 एवं 17 अगस्त, 2016 को प्रस्तावित सोशल आडिट को स्थगित किया जाता है।

अतः समयक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में स्थगित 28 जुलाई, 01, 04, 08, 11 एवं 17 अगस्त, 2016 की सोशल आडिट को माह दिसम्बर, 2016 में आप द्वारा निर्धारित करते हुए सम्पन्न कराया जाए। जिन विकास खण्डों की सभी ग्राम पंचायतों की सोशल आडिट पूर्ण करा ली जाएगी, उन्ही विकास खण्डों में ब्लाक सभा का आयोजन किया जाएगा।

भवदीय,

(राजवर्धन)
निदेशक।

पत्रांक:-346/सो०आ०नि०-318(I)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग (अनुभाग-7), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- महानिदेशक, एस०आई०आर०डी०, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
- 3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
- 4- श्री गुरुजीत सिंह एवं श्री दिग्विजय सिंह, सलाहकार, भारत सरकार।
- 5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 6- संबंधित जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।

(राजवर्धन)
निदेशक।